

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 263

दिनांक : 01/5/13

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च, 2013 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार डिवाइन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूसन, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.कॉम. तृतीय वर्ष, (प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति.वि.), बी.बी.ए. तृतीय वर्ष एवं बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत की जावे।
2. शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत जो की गई है उन्हें कार्यपरिषद् से अनुमोदित कराया जावे।
3. Commerce and Computer विषय में परिनियम 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की कमी है, अतः और शिक्षकों की नियुक्ति कराई जावे।
4. खेल का मैदान विकसित किया जावे।
5. 50,000/- रु. की पुस्तकें क्रय की जावे।
6. कोर्स से सम्बन्धित लीगल साफ्टवेयर खरीदे जाये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, डिवाइन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूसन, ग्वालियर।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)